स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांकः 18—10—2018

File No. RSM/3/2018/MHRD2/SEHRMT/RU-III

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषय :- अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को जवाहर नवोदय विद्यालय, ओढा, सिरसा हरियाणा के प्राचार्य एवं कर्मचारियो द्वारा पिछले छः महीनों से कथित रूप से प्रताड़ित करने तथा डराये—धमकाये जाने के संबंध में – श्री राधेश्याम मीना (कला अध्यापक) ग्राम / पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा, जिला टोंक (राजस्थान) का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>30—10—2018 को 15.00 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों / दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष—24615012

O/C
Received envelop
18/8/18

सेवा में,

प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
ओढा, सिरसा (हरियाणा)

<u>प्रतिलिपि प्रेषितः</u>

श्री राधेश्याम मीना,
ग्राम / पोस्ट बनेठा, तहसील उनियारा,
जिला टोंक (राजस्थान)

8851
22/10/18
जारी किया
ISSUED